

( राजस्थान-सरकार )

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर, बारां (राज.)**

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :- 04 / 2026

पंजीकरण संख्या :- 2026 / 14

**बउनवान**

इंदिरा नागर पत्नि श्री हरिप्रसाद नागर निवासी राजमल चित्तौड़ा की गली, शिव कॉलोनी, हॉस्पिटल रोड, बारां (राज.)

(अपीलार्थी)

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

**प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)**

**निर्णय दिनांक 27.03.2026**

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.01.2026 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जो अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरुद्ध (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन-पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 09.03.2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता को जरिये सम्मन क्रमांक 155-156 दिनांक 10.03.2026 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 155-156 दिनांक 10.03.2026 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/एल.आर. /2026/529-530 दिनांक 13.03.2026 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी के नाम ग्राम भौराजेडी पटवार मंडल हॉपाहेडी में खाता सं. 64 व 65 में कुल रकबा 4.00 है. भूमि राजस्व रेकार्ड दर्ज खाता है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के अलग-अलग खाते होने के कारण पटवारी द्वारा डीआईएमएस पोर्टल पर अलग-अलग अपलोड करने के कारण खाता सं. 64 की राशि 10880 रुपये का बिल पास होने से भुगतान हो चुका है। शेष खाता सं. 65 की राशि 6120 रुपये डीआईएमएस पोर्टल पर डाटा अपलोड हो चुका है परंतु ओआईसी लेवल पर पेंडिंग होने के कारण भुगतान से शेष है। अतः तहसील स्तर से भुगतान संबंधित कार्यवाही शेष नहीं है। उक्त जवाब की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवा दी गई है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/एल.आर./2026 /529-530 दिनांक 13.03.2026 से इस न्यायालय में भिजवा दी गई है जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता के विरुद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2026** को सरे ईजलास सुनाया गया।

( भंवर लाल जनागल )  
अति० जिला कलक्टर,  
बाराँ